

न्यायालय— सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्, पटना
सिटी

T.S. 184/2011

C.I.S – 184/2011

13-07-2026

प्रस्तुत वाद आज उपस्थापित किया गया। उभयपक्ष की ओर से हाजरी नहीं है। अभिलेख अवलोकन से विदित है कि वादी वर्ष 2018 से लगातार अनुपस्थित है। विदित होता है कि वादी की रूचि वाद से समाप्त हो चुकी है। अतः इस वाद को अदम्य पैरवी के अभाव में खारिज किया जाता है। कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करें।

लेखापित

सिविल न्यायाधीश (वरीय प्रभाग), षष्ठम्
पटना सिटी